क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 2884/NGT-157/OA-555/2022/2023 दिनांक 15/03/2023

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: Additional reply on behalf of U.P. Pollution Control Board in compliance of Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi Order dated 13.03.2023 in OA No-555/2022 Vijaypal Versus State of U.P.

Respected Sir,

With reference to the above-mentioned subject, please find enclosed herewith additional reply on behalf of U.P. Pollution Control Board as directed by Hon'ble Tribunal in OA No-555/2022 Vijaypal Versus State of U.P. Request you to kindly get the response placed before the Hon'ble Bench for kind pursual.

Enclosure: Report.

Yours Sincerely

(Utsav Sharma)
Regional Officer

Copy to:

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
3. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
4. Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 555 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Vijaypal ...Applicant

Versus

State of U.P. ...Respondent(s)

INDEX

S.No.	Description	Pg.No.
1	Additional Reply on Behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board's in Compliance of Hon'ble National Green Tribunal's order dated 13.03.2023 in OA 555/2022	1-4
2	**ANNEXURE I:** Copy of Report along with necessary Annxures	5-18
3	**ANNEXURE II:** Copy of Closure Order dated 12.12.2022	19-19

FILED BY

15/3/2023

Utsav Sharma
Regional Officer, Ghaziabad
Uttar Pradesh Pollution Control Board

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 555/2022

In the matter of:

Vijaypal ...Applicant

Versus

State of U.P. ...Respondent(s)

ADDITIONAL REPLY ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD WITH RESPECT TO ORDER DATED 13.03.2023

IT IS MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That, the instant matter was registered and taken up by this Hon'ble Tribunal on basis of a complaint received by post with regards to operation of an illegal factory with the name of M/s Moon process behind Power house near Indane Gas Agency at village Partapur, District Hapur, Uttar Pradesh.

2. That, in the said complaint, the applicant has alleged that the said industry is using unapproved fuel such as Medical waste, paper, plastic, polythene, rubber, raxine, tyre, chemical cloth and other toxic chemicals for it boiler. As a result, the entire surrounding land has become infertile and emitted poisonous gases are causing damage to the environment.

3. That, in view of the averments made in the application which raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in the National Green Tribunal Act, 2010, the Hon'ble Tribunal had taken up the matter on 06.09.2022 and constituted a Joint Committee comprising of representative of District Magistrate, Hapur and the State PCB and to verify the factual position and file an action taken report.
4. That, in compliance of the above-mentioned orders of the Hon'ble Tribual, the Joint Committee carried out site visit on 9.12.2022 and the report of the Joint Committee has been filed in Hon'ble Tribunal by the Regional Officer, Ghaziabad, Uttar Pradesh Pollution Control Board on 13.12.2022 and same has been taken on record in the order dated 15.12.2022 of Hon'ble Tribunal.
5. That in pursuant to response received from Respondent No. 5, M/s Moon Process, Hon'ble Tribunal had directed the State Pollution Control Board on 13.03.2023 to file an additional reply with regards to the land area, manufacturing capacity, the machinery installed, annual turnover of the Project Proponent and copy of the order passed for imposing environmental compensation on the Project Proponent.

6. That in compliance of above mentioned orders, the said unit has been inspected on 15.03.2023 and same was found closed. With regards to information sought by the Hon'ble Tribunal, report is annexed as *Annexure I*. Pertinent information as desired by the Hon'ble Tribunal is as below:-

   a) The said unit has been set up at Khasra No. 171mi, which admeasures to 1000 square meter. However, the plant machinery is set up in an area of around 292.75 sq.m. and another 300 sq.m. is being used for storage of fabric. It has been claimed by the unit representative that in said plot, the ownership of 292.75 sq.m. is his own and 300 sq.m. has been rented out to him by his elder brother.

   b) The unit operates on job-work basis, but on basis of capacity of dry range machine used for application of starch and drying, considering operating hours of 8 hours, the manufacturing capacity comes out to around 2000 m/day.

   c) At the time of inspection, one 2 TPH boiler and 03 dry range machines were found in the premises, of which 01 dry range machine was dismantled.

d) Since the unit became operational in July, 2022, no evidence with regards to annual turnover could be furnished.

e) Environmental compensation show cause for Rs. 10,12,500/- has been communicated to M/s Moon Process vide closure order notice dated 12.12.2022 itself. Copy of same is annexed as *Annexure II*.

The report may kindly be taken on record and put up before Hon'ble Bench.

18/03/23

(Anil Gupta)
Scientific Assistant
UPPCB, Ghaziabad

(Kishan Singh)
Assistant Environment Engineer
UPPCB, Ghaziabad

Annexure-II

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0—555/2022 में दिनांक 13.03.2023 को पारित आदेश के अनुपलान में निरीक्षण आख्या।

उक्त उधोग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 15.03.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय उधोग उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या एच—85448/सी—1/वायु/जी—1199/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 12.12.2022 द्वारा निर्गत बन्दी आदेश के अनुपालन में बन्द पाया गया। उधोग प्रतिनिधि के रूप में श्री सलाउददीन पुत्र मोहम्मद फारूख, प्रोपराइटर उपस्थित थे। उधोग से वाछिंत सूचनाऐं निम्नवत् है:—

1. उधोग स्वामी द्वारा उधोग स्थापना स्थल खसरा नं0 171मि0 अवगत कराया गया है तथा उक्त का कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर अवगत कराया गया है, जिसमें से स्वयं की भूमि क्षेत्रफल 292.75 वर्गमीटर अवगत कराया गया है, जिस पर प्लांट एवं मशीनरी स्थापित है तथा शेष भूमि को अपने बडे भाई श्री अब्दुल जब्बार पुत्र मोहम्मद फारूख की अवगत कराया गया है, जिसे रू0 6000/— प्रतिमाह पर किराये पर लिया गया है। किराये पर ली गयी भूमि के लगभग 300 मीटर पर टीन शेड से कवर्ड है, जिसमें फैब्रिक स्टोर का कार्य किया जाता है एवं शेष भूमि खाली पडी है। निरीक्षण के दौरान भूमि बैनामा व किरायानामा की प्रति उपलब्ध करायी गयी है **(संलग्नक—1)**।
2. निरीक्षण के दौरान उधोग में प्लांट मशीनरी के रूप में 01 ब्वायलर क्षमता 2 टन/घण्टा, स्टार्च लगाने एवं सुखाने हेतु 03 ड्राईग रेजं मशीन स्थापित पायी गयी, जिसमें से 01 मशीन डिस्मेंटलिंग अवस्था में है। निरीक्षण के दौरान उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई प्लांट एवं मशीन परिसर में स्थापित नही पायी गयी।
3. उधोग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रत्येक ड्राईग रेंज मशीन की स्टार्च लगाने व सुखाने की क्षमता 120 मीटर/घण्टा है तथा प्रतिदिन 08 घण्टे मशीनो का संचालन किया जाता था एवं दोनो मशीनो के संचालन से लगभग 2000 मीटर प्रतिदिन फैब्रिक पर स्टार्च लगाने का कार्य किया जाता था।
4. उधोग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उधोग जुलाई 2022 में संचालित किया गया है वर्तमान तक बैलेन्स शीट नही बनी है। अग्रेतर अवगत कराया गया कि उसके द्वारा फैब्रिक पर स्टार्च लगाने का जॉब वर्क किया जाता है, जिसका रेट रू0 4 प्रतिमीटर है तथा उक्त कार्य में कुल खर्चा रू0 4.50 आता है एवं लाभ लगभग रू0 0.50 से रू0 1.0 प्रतिमीटर आता था। इस सम्बन्ध में उधोग प्रतिनिधि द्वारा शपथ प्रस्तुत किया गया है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(अनिल कुमार गुप्ता)
वैज्ञानिक सहायक

(किशन सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

-5-

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CM 563758

NOTARY Brij Mohan (Advocate) Distt. Hapur (U.P.) Regn. No. 10711 GOVT. OF INDIA

सेवा में,

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय
क्षेत्रीय कार्याल– उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
वसुन्धरा– गाजियाबाद।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रार्थी ने "मून प्रोसेर्स" के नाम से एक लघु उद्योग जोकि ग्राम परतापुर, बिजली घर के पीछे, पिलखुवा, दिनांक जौलाई– 2022 से शुरू किया गया था, जिसमें प्रार्थी ने एक बॉयलर लगभग 02 टन तथा 02 पुरानी मशीनें लगायी थी। फैक्ट्री में कपड़े पर मांडी लगाने का कार्य मजदूरी मूल्य पर किया जाता है, जिसमे बॉयलर में ईंधन मानक अनुसार ही जलाया जाता था, फैक्ट्री में लगभग रोजाना 2 हजार मीटर कपड़े पर मांडी लगायी जाती थी, तथा प्रति मीटर 4.5 रू0 लिया जाता था, जिसमे लगभग स्टार्च तथा लेंबर व बिजली का खर्चा लगभग 3.50 प्रति मीटर आता है।

प्रार्थी को लगभग 50 या 60 पैसे मीटर होता है। प्रार्थी को महीने में 25,000/–रूपयें से लेकर 30,000/–रूपयें की आमदनी होती है। जब जौलाई में प्रार्थी ने लघु उद्योग लगाया था तब प्रार्थी को ज्ञात नही था कि कार्य संचालन के लिए प्रदूषण विभाग की अनुमति की आवश्यकता होती है जिस कारण अज्ञानवंश प्रार्थी ने कार्य संचालन प्रारम्भ कर दिया था।

शेष पृष्ठ 02 पर

NOTARY Brij Mohan (Advocate) Distt. Hapur (U.P.) Regn. No. 10711 GOVT. OF INDIA

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये
रु.50
FIFTY RUPEES
Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CM 563757

प्रदूषण विभाग द्वारा दिनांक 12.12.2022 को औचक निरीक्षण द्वारा फैक्ट्री को बन्द कर दिया गया था। तब से फैक्ट्री बन्द है, लगभग 05 माह फैक्ट्री में कार्य किया गया जिसकी बेलेन्स सीट अभी तैयार नहीं हुई है, फैक्ट्री खसरा संख्या 171 मि0, ग्राम परतापुर में लगभग 300 मीटर में स्थित है, तथा प्रार्थी ने अपने बड़े भाई अब्दुल जब्बार से लगभग 750 मीटर 6,000/–रू0 प्रतिमाह के हिसाब से बराबर वाली खाली जगह किराये पर ले रखी है।

प्रार्थी के पास फैक्ट्री के अलावा कोई जीवन यापन का साधन नहीं है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि हमारी इस भूल को क्षमा करते हुए पुनः फैक्ट्री संचालन की अनुमति दिलाने की कृपा करें, जिससे कि मैं अपने परिवार का पालन–पोषण कर सकूँ, जिसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा।

धन्यवाद

दिनांक 14/03/2023

प्रार्थी

सलाउद्दीन पुत्र मो0 फारूख

NOTARY
Brij Mohan
GOVT. OF INDIA

S.No. 2283 Date 14/03/2023
Brij Mohan (Advocate)
Notary, Government of India
Regd. No. 10711, Valid-25-11-24
District-Hapur (Uttar Pradesh)
Identified By Sari..........

7

भारतीय गैर न्यायिक

TEN RUPEES

रु. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

62AE 189339

किरायानामा

मैं कि अब्दुल जब्बार पुत्र मौहम्मद फारूक निवासी 267 मौहल्ला कृष्णगंज नई आबादी पिलखुवा तहसील धौलाना जिला हापुड।

आधार कार्ड स– 791443678468

प्रथमपक्ष/मालिक

एवं

सलाउददीन पुत्र मौहम्मद फारूक निवासी मौहल्ला कृष्णगंज नई आबादी। पिलखुवा तहसील धौलाना जिला हापुड आधार कार्ड स– 687779552693

द्वितीयपक्ष/किरायेदार

सर्वविदित हो कि प्रथम पक्ष एक किता फैक्ट्री रकबा 900 वर्गगज ग्राम परतापुर तहसील धौलाना जिला जनपद हापुड मालिक व काबिज हूँ। तथा द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति को किराये पर लेना चाहता है जिसमे प्रथम पक्ष भी किराये पर देने के लिए सहमत है। हम पक्षो मे किराये पर लेने व देने के लिए निम्नलिखित शर्ते तय जाती है जिनके हम पक्षगण व हमारे वारिसान पूर्ण रूप से पाबन्द रहेगे।

2

1. यह कि उक्त किरायेदार की अवधि 1 वर्ष यानि आज दिनांक 22.07.2022 से 21.07.2023 तक की होगी। यह कि उक्त सम्पत्ति का पक्षगण के किराया अंकन 6,000 /रू0 प्रति माह देना तय पाया गया है।
2. यह कि किरायेदार वाली सम्पत्ति को प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष खाली करना या कराना चाहता है तो एक दुसरे को 2 माह पूर्व सूचित करेगे।
3. यह कि द्वितीय पक्ष किरायेदारी के दौरान उक्त सम्पत्ति मे किसी अन्य व्यक्ति को शरीक व शिकमी किरायेदार आबाद नही कर सकेगा।
4. यह कि द्वितीय पक्ष किरायेदारी के दौरान उक्त सम्पत्ति मे आग लगने पर या अन्य किसी कारण से सैड या दीवार की कोई किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसे सही कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
5. यह कि द्वितीय पक्ष किरायेदारी वाली सम्पत्ति खाली करते समय उसका कब्जा प्रथम पक्ष को उसी हालत मे देगे जिस हालत मे किराये पर ले रहे है।
6. यह कि उक्त सम्पत्ति मे द्वितीय पक्ष कोई ऐसा कार्य नही करेगा जो अपराधिक या दण्डात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत आता हो फिर भी यदि द्वितीय पक्ष ऐसा कोई कार्य करता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। प्रथम पक्ष को उससे कोई सम्बन्ध नही होगा।
7. यह कि यदि द्वितीय पक्ष उक्त वर्णित शर्तो मे से किसी का भी उल्लघन करता है तो तुरन्त काविज बेदखल होगा।
8. यह कि किरायेदारी के दौरान समस्त बिजली, बिल सफाई, रगाई व मरम्मत आदि की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
9. यह कि दोनो पक्षो के सम्बन्ध मधुर रहने पर इस किरायेदारी की अवधि व्यतीत होने पर पक्षगण सहमति से किरायेदारी सुचारू रूखी जायेगी।

अतः यह किरायानामा पक्षकारान ने रूबरू गवाहान अपनी इच्छा व मर्जी से तहरीर करा दिया है ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

दिनांक 01.12.2022

प्रथम पक्ष

द्वितीयपक्ष

ह. गवाह –1

ह. गवाह –2

(49)

ATTESTED
01/12/2022
VINOD KUMAR (Advocate)
Notary Govt. of India
District HAPUR (U.P.)
Mob. 8218018837

NOTARY
GOVT. OF INDIA
Vinod Kumar (Advocate)
Dist. Hapur (U.P.)
Regd. No. 20907
Valid 15.03.2025

9-

7643/2014

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

वरिष्ठ कोषाधिकारी

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

आमिर खान
बैनामा लेखक

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AU 909266

Seen for Regd. in ee. No. 4377/14 P.S. Pilkhuwa

न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड़ 22.11.14

विकय विलेख प्लाट

1. क्षेत्र	--	धौलाना
2. भूमि का प्रकार	--	आवासीय
3. परगना	--	डाराना
4. ग्राम/मौहल्ला	--	परतापुर
5. सम्पत्ति का विवरण	--	अंश खसरा नं0 171 मि0
6. विकीत क्षेत्रफल	--	292.75 वर्ग मीटर
7. मापन की इकाई	--	वर्ग मीटर
8. सडक की स्थिति	--	200 मीटर अधिक दूर है।
9. बैनामा अंकन	--	528,000/--
10. सरकारी कीमत	--	528,000/--
11. आ0वि0शुल्क	--	शामिल है।
12. कुल स्टाम्प शुल्क	--	32,000/--
13. सरकारी दर	--	पेज संख्या 22 क्रमांक 92 के अनुसार 1,800/--प्रतिवर्ग मीटर है।

हसरत फरहाना

10-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

वरिष्ठ कोषाधिकारी

भारत

31 JUL 2014

रु.5000
हापुड़

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

नामा लेखक

AU 909267

2

हम कि रगवीर सिंह व हरशरण पुत्रगण स्व0 श्री नानकचन्द व राजू पुत्र श्री राम सिंह निवासीगण ग्राम मीरापुर गढी परगना डासना तहसील धौलाना जिला हापुड़ (विकेता) प्रथम पक्ष व

श्रीमती फरहाना पत्नी श्री सलाऊददीन निवासी मौहल्ला कृष्णगंज नई आबादी पिलखुवा परगना डासना तहसील धौलाना जिला हापुड (केता) द्वितीय पक्ष।

रघुबीरसिंह हरसरन राजु फरहाना

11-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

वरिष्ठ कोषाधिकारी

31 JUL 2014

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 909295

बेनामा लेखक

3

विक्रीत प्लाट का विवरण

स्थित ग्राम परतापुर परगना डासना तहसील धौलाना जिला हापुड़ में खाता संख्या 253 खसरा संख्या 171 मि0 रकबा 0.1330 हैक्टेयर में से केवल 350 वर्ग गज अर्थात 292.75 वर्ग मीटर है, जिसके

पूरब में	– खेत सीता राम	भुजा	– 94.51 फुट
पश्चिम में	– प्लाट अब्दुल जब्बार	भुजा	– 92 फुट 3 इंच
उत्तर में	– खेत देविन्द्र आदि	भुजा	– 33.77 फुट
दक्षिण में	– रास्ता 22 फुट चौडा बादहु नाला	भुजा	– 33.77 फुट

जो इस लेख द्वारा विक्रय है।

विदित हो कि उक्त प्लाट का प्रथम पक्ष मालिक स्वामी काबिज है और उसको हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकारी है जो कि आज दिन तक हर प्रकार के हस्तान्तरण, भार, अधिभार आदि आदि दोषो से मुक्त है तथा भार मुक्त एवं विवाद रहित है बैंक लोन व जमानत सरकारी व गैर सरकारी आदि–आदि से पाक साफ है, प्लाट को विक्रय करने में किसी प्रकार की वैधानिक आपत्ति नही है अब प्रथम पक्ष ने अपने उक्त प्लाट को विक्रय करना तय किया है कि जिसको द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को उचित बाजारू मूल्य देकर खरीद रहे है उक्त प्लाट को अब सर्व अधिकार व स्वत्व हर प्रकार भूतल बर्ताव भूमि करने आवादी

12

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 909296

मेर खान

बैनामा लेखक

4

बनाने मकान आदि रखने निवास आवागमन मार्ग, प्रकाश, वायु, पानी, परनाला आदि–आदि को स्वेच्छा प्रसन्नता व स्वस्थ मनोबुद्धि की दशा में बिना दबाव बदले अंकन 528,000/– रूपये आधे जिसके 264,000/– रूपये होते है, हाथ द्वितीय पक्ष को पूर्ण प्रकार से अन्तरण किया व बेच दिया तथा कुल रूपया पेशगी प्राप्त किया, मूल्य में कोई पैसा शेष नही बचा है और न ही भविष्य में माना व समझा जायेगा, विकीत प्लाट पर द्वितीय पक्ष महोदय को अपने समान मालिक स्वामी व काबिज करा दिया, अधिकार का परिवर्तन हो गया है, अब प्रथम पक्ष व वारिसान प्रथम पक्ष का विकय प्लाट में कोई हक व हिस्सा शेष नही बचा है और न ही भविष्य में माना व समझा जायेगा फिर भी विकीत प्लाट यदि किसी वाद–विवाद के कारण कुल या जुज भाग द्वितीय पक्ष के अधिकार व कब्जे से निकल जावें या अपना अधिकार सुरक्षित रखने के कारण द्वितीय पक्ष को कुछ और रूपया देना पडे या विकीत प्लाट किसी प्रकार के आड, बय, लोन आदि–आदि से ग्रस्त पायी जाती है या प्रथम पक्ष इस प्लाट को विकय करने के अधिकारी सिद्ध न हो तो ऐसी प्रत्येक दशा में द्वितीय पक्ष को अधिकार रहेगा

रुखसाना हसरत राजा फरहाना

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 909297

5

कि वह प्लाट का बाजारू मूल्य या वह रूपया जो कि उसको और देना पडा हों, मय हर्जा-खर्चा व ब्याज दर बाजारू सहित नियमानुसार प्रथम पक्ष व वारिसान प्रथम पक्ष की चल-अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहें वसूल करें इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी। द्वितीय पक्ष प्लाट में अपनी तामीर के द्वार, जंगले, मोरी, नाली, परनाले, झांप आदि-आदि रास्ते की ओर को रखेगा, अन्य किसी ओर को नही रखेगा, द्वितीय पक्ष अपनी इच्छानुसार प्लाट में एक मंजिला या बहुमंजिला निर्माण करावे इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी। उक्त भूमि में रगवीर सिंह व हरशरण पुत्रगण स्व0 श्री नानकचन्द ने केवल 50 वर्गगज तथा शेष 300 वर्गगज भूमि राजू पुत्र श्री राम सिंह ने विक्रय

रघुवीर सिंह हरशरन राजू फरहाना

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 909924

6

की है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत ऐसे सभी तथ्य तथा परिस्थितिया जो स्टाम्प देयता को प्रभावित कर सकते है को विक्रय विलेख में सत्यतापूर्वक अंकित कर दिये गये है, कोई तथ्य छिपाया नही गया है।उक्त भूमि अंश खसरा नम्बर 171 मि0 जिसगें न्यायालय उपजिलाधिकारी वाद संख्या 44/2013 धारा 143 वाद आदेश दिनांक 19.10.2013 को रगवीर आदि बनाम सरकार आदि द्वारा अकृषक घोषित किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख पर शासनादेश संख्या स. वि. क. नि. 2756/11–2008–500 (165)/2007 दिनॉक 30.06.2008 के अनुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। कब्जा मौके पर द्वितीय पक्ष का करा दिया गया है। प्लाट पर कोई निर्माण नही है।यदि उक्त

रघुवीरसिंह हरसरन राजू फरहाना

15-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

वरिष्ठ कोषाधिकारी

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 275892

7

प्लाट या लेन देन के विषय में पक्षगण के मध्य कोई वाद–विवाद किसी भी न्यायालय में लम्बित होगा या भविष्य में चलेगा तो उसकी समस्त जिम्मेदारी पक्षगण की होगी जिसमें दस्तावेज लेखक का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। विकय विलेख में जो फोटो चस्पा किये गये है उनमें गवाहो के फोटो विकेता व केता ने तस्दीक किये है तथा गवाहो ने विकेता व केता के फोटो तस्दीक किये है, पक्षकार व गवाहान के फोटो प्रमाणन के उपरान्त दस्तावेज लेखक ने उन्हे प्रमाणित किया है।

रघुवीरसिंह हरस्वरूप राजू फरहाना

/6

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

वरिष्ठ कोषाधिकारी

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 275893

8

अतः यह लेख विक्रय–विलेख अपनी स्वेच्छा, प्रसन्नता, सदबुद्धि व चेतन्य मन की अवस्था में बिना दबाव लिखा दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। मसविदा स्वयं पक्षगण के कथानुसार व दी गई सूचनाओ के आधार पर टाईप किया गया है।

रघुवीरसिंह हरसरन राजु फरहाना

गवाह श्रीराम पुत्र रुगन सिंह नि० नन्दी मन्दिर मिलक

गवाह रोहित पु० राजु ग्राम पटनापुर

रोहित

दिनांक– 08.08.2014

दस्तावेज लेखक आमिर खान
अनुमान्य 31.3.15
अनुज्ञप्ति सं0–91
ली गयी फीस 100

मुकेश पुत्र राम पाल सिंह ग्राम पटनापुर

17

आबादी 50 मीटर त्रिज्या का नजरी नकशी

स्थित ग्राम / मौहल्ला ....परतापुर.... प्लाट नं0 .... रकबा 350 वर्ग गज / 292.75 वर्गमीटर

कवर्ड एरिया ......x...... खाली ....✓....

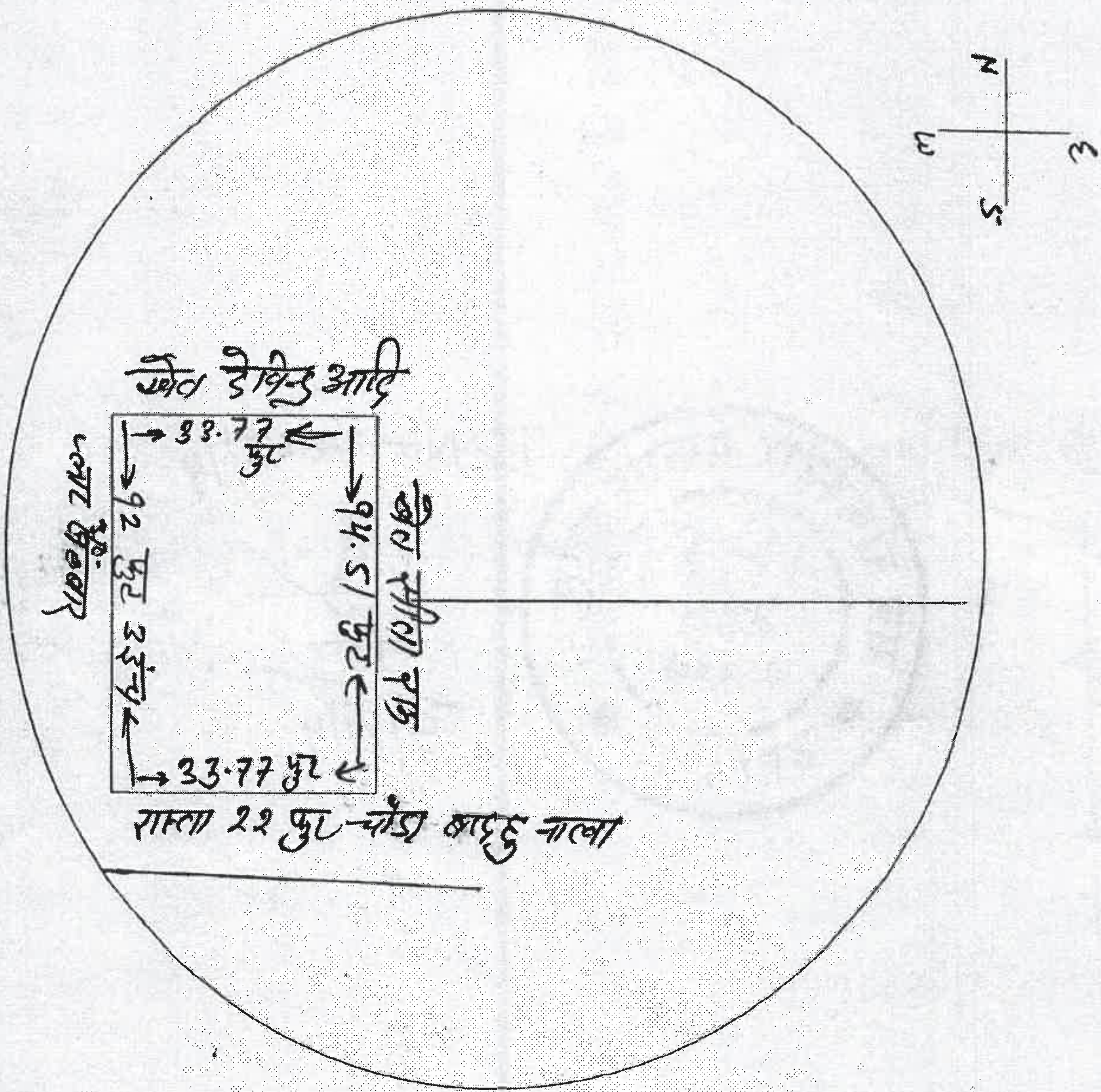

ह0 पक्षकारान रघुवीरसिंह हरचरन — राजू फरहाना

Annexure-II

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- 485448/C-1/वायु/G-1199/बन्दी आदेश/2022 Date: 12.12.22

सेवा में, **पंजीकृत**

मैसर्स मून प्रोसेसर,
ग्राम प्रतापुर नियर इण्डियन गैस एजेन्सी, पिलखुवा,
हापुड़।

यह कि मैसर्स मून प्रोसेसर, ग्राम प्रतापुर नियर इण्डियन गैस एजेन्सी, पिलखुवा, हापुड़ जो कच्चे माल के रूप में कच्चे माल के रूप में फैब्रिक, स्टार्च का इत्यादि का प्रयोग कर फैब्रिक पर स्टार्च के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 555/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के माध्यम से संदर्भित उद्योग के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के क्रम में उक्त उद्योग का निरीक्षण उपजिलाधिकारी–धौलाना, हापुड़ के साथ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 09.12.2022 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उद्योग बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति जल और वायु प्राप्त किये बिना स्थापित/संचालित है, जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का उल्लंघन है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाईयों के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी औद्योगिक इकाईयों को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित बंदी आदेश जारी किये जाते है:–

1. यह कि मैसर्स मून प्रोसेसर, ग्राम प्रतापुर नियर इण्डियन गैस एजेन्सी, पिलखुवा, हापुड़ पर अवैध रूप से संचालित इकाईयों की संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है मैसर्स मून प्रोसेसर, ग्राम प्रतापुर नियर इण्डियन गैस एजेन्सी, पिलखुवा, हापुड़ पर अवैध रूप से संचालित इकाईयों को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न मैसर्स मून प्रोसेसर, ग्राम प्रतापुर नियर इण्डियन गैस एजेन्सी, पिलखुवा, हापुड़ द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों की अवहेलना किये जाने के दृष्टिगत मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनायी गयी गाइड लाइन्स के आधार पर दिनांक 01.07.2022 से निरीक्षण दिनांक 09.12.2022 तक कुल 162 डिफाल्टर दिवस हेतु रू0 10,12,500/– (रू0 दस लाख बारह हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त।

(प्रदीप शर्मा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, हापुड़।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, हापुड़ को इस आशय से प्रेषित की उद्योग की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करे।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुवर्ती कार्यवाही सहित अनुपालन आख्या ससमय मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त–1)